भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3153

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

खजुराहो में गंभीर जल संकट

3153. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पन्ना, छतरपुर तथा कटनी जिलों वाला खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अनियमित मानसून, तीव्र सतही अपवाह, कठोर शैल जलभृतों, भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, पारंपरिक जलाशयों के क्षरण तथा अपर्याप्त सिंचाई के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे किसानों एवं ग्रामीण समुदायों को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस आपात स्थिति को देखते हुए जल शक्ति अभियानः कैच द रेन तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक पनधारा आधारित समेकित जल सुरक्षा योजना तैयार करने का है जिसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित पनधारा मानचित्रण, पारंपरिक जलाशयों के पुनर्जीवन, जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं, चेक डैम तथा खेत तालाब शामिल हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सूखा-प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किसी विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज का प्रावधान करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): 'जल' राज्य का विषय है, इसी कारण से जल संसाधनों और उनके संरक्षण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारें उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि,

i. सरकार को इस बात की सूचना है कि खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में वर्षा में उतार-चढ़ाव, तेज़ी से सतही रन-ऑफ और कठोर चट्टानों वाली भू-वैज्ञानिक संरचनाओं जैसे प्राकृतिक कारणों से स्थानीय स्तर पर जल की कमी होती है।

ii. सीजीडब्लूबी के हाल ही में किए आकलन के अनुसार, पन्ना, छत्तरपुर और कटनी ज़िलों में भूजल निष्कर्षण के मामले में किसी भी ब्लॉक को गंभीर स्थिति या अत्यधिक दोहन की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

iii. सरकार युक्तधारा और ग्रामीण अवसंरचना की पहचान तथा योजना के लिए सॉफ्टवेयर (एसआईपीआरआई) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वैज्ञानिक वॉटरशेड-आधारित योजना बनाती है जिससे जीआईएस-आधारित योजना बनाने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों को प्राथमिकता देने में सहायता करते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्थानीय संसाधनों की स्थिति के आधार पर वॉटरशेड विकास योजनाएं तैयार करने में सहायता के लिए स्थानिक और वैज्ञानिक डेटा को एकीकृत करता हैं। जीआईएस-आधारित योजना का उपयोग जल निकायों के पुनरुद्धार, कैचमेंट क्षेत्र का उपचार, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, जलनिकासी लाइन उपचार, फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम और जल संरक्षण के अन्य उपाय जैसे उचित कार्यकलापों की पहचान करने और योजना बनाने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 256 जल की कमी वाले ज़िलों में एक निर्धारित समय-सीमा वाले, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप मे 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) शुरू किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में इस अभियान को 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) के रूप में शुरू किया, जिसका संदेश "कैच द रेन: वेयर इट फ़ॉल्स, वेन इट फ़ॉल्स" था। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा है, जो स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत तालमेल के माध्यम से जल सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। जेएसए: सीटीआर अभियान पूरे देश में लागू किया गया और वर्ष 2023 से इसके प्रत्येक संस्करण में अत्यधिक प्रभाव डालने के लिए एक विशेष लक्ष्य पर ध्यान दिया गया। "पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता" थीम वाले जेएसए: सीटीआर 2023 में 'जल जीवन मिशन' द्वारा पहचाने गए 150 विशेष ज़िलों को प्राथमिकता दी गई। "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम वाले जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान, पूरे देश में चलाया गया और इसमें 'केंद्रीय भूजल बोर्ड' (सीजीडब्लूबी) द्वारा पहचाने गए 151 ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ शुरू किया गया जिसमें ज़मीनी स्तर पर अधिक सहभागिता, अतंर क्षेत्रीय समन्वय और नवीन वित्तपोषण तंत्रों पर बल दिया गया तथा सीजीडब्लूबी द्वारा पहचाने गए 148 ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया गया।

'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' की गति को और तेज करने के लिए, समुदाय की मज़बूत भागीदारी वाली "जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी)" पहल सितंबर 2024 में गुजरात के

सूरत में शुरू की गई। जून 2025 में जेएसजेबी 2.0 शुरू किया गया। जेएसजेबी 2.0 दिनांक 1 जून 2025 से शुरू होकर दिनांक 31 मई 2026 को संपन्न हुआ है।

'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी: सीटीआर) - 2026' को दिनांक 1 जून 2026 को शुरू किया गया। इस से 'जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी)' पहल का दायरा बढ़ा और साथ ही इसे 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)' अभियान के साथ जोड़ा गया। यह पहल कम लागत वाले वर्षा जल जमा संचयन संरचनाओं को बनाने के लिए कम लागत में और सैचुरेशन मोड में सामुदायिक कार्रवाई और एक जुटता में तेज़ी लाने पर केंद्रित है।

इसका उद्देश्य समग्र-समाज और समग्र-सरकार के अनुसरण में सामूहिक प्रयासों द्वारा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी, स्थानीय समाधानों को विकसित करने का प्रयास करती है। यह पहल 3सी सिद्धांत - समुदाय, सीएसआर और लागत - द्वारा निर्देशित है, जो प्रभावी समन्वय और स्वोत्म लाभ को सुनिश्चित करती है। सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में इस पहल को बढ़ावा देती है ताकि इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस पहल का लक्ष्य गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, सिविल समाजों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना है ताकि व्यापक समुदाय को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके। अभियान की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है - JSJB: CTR (https://jsjb.mowr.gov.in):

इस पहल के अंतर्गत सामुदायिक निधियों, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों और अन्य स्रोतों का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बोरवेल, रिचार्ज शाफ्टों, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं का निर्माण किया जाता है जिसका उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना, भूजल स्तर को बढ़ाना और जल संबंधी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान प्रदान करना है। यह पहल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे विकसित भारत - रोजगार एंव आजीविका मिशन हेतु गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी आएएम जी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिश्न (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन घटकों, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) एवं वित्त आयोग के अनुदानों से समन्वित वित्तपोषण पर भी जोर देती है।

तकनीकी योजनाओं को सहयोग देने और जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए ग्रामस्तरीय व्यवहार्यता मानचित्रों को जिलों के साथ साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश भर के जिलों ने, संबंधित जिलों में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएँ तैयार की हैं।

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजनाओं के अंतर्गत, अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है

जो विधानमंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 100% होती हैं। विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों, 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का 90% होती है। इसके अतिरिक्त, एसएमआई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/अनुदान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश सहित विशेष क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं हेतु उनके लागत का 60% होता है। जल निकाय योजनाओं आरआरआर योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अन्य सभी श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 60% होती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग, देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वॉटरशेड विकास घटक को लागू करता है जिसका उद्देश्य मृदा और जल संसाधनों का संरक्षण करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ा देना, वनस्पति आवरण में सुधार करना और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करना है। इन कार्यकलापों में मेड़-से-घाटी तक का उपचार, मृदा और नमी संरक्षण उपाय, जल संचयन संरचनाएं, वनरोपण और आजीविका गतिविधियां शामिल हैं, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल उपलब्धता में सुधार और जलवायु रेज़िलिएन्स को बढ़ाने में योगदान देता हैं।

देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन, जिनमें जल की कमी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी ने खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों, नामत: छतरपुर, पन्ना और कटनी के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन (नैक्यूम) रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके अतिरिक्त , सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृत प्रणाली की विशेषताओं का पता लगाने, भूजल स्थितियों का आकलन करने और भूजल-युक्त संरचनाओं का सीमांकन करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जलभूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय जांच की है।

*****